सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 192/17 **निर्णय दिनांकः 11/12/17**

1.मोहनलाल पुत्र श्री नारायणराम जाति जाट निवासी पलाना तहसील व जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16–05–2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 16–05–2017 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व से ही अन्य को आवंटित भूमि का भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3.विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् के नाम से उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 3 एडी के मुरब्बा नम्बर 58/20 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु दिनांक 15—01—1994 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को भूमिहीन के तौर आवंटन सलाहकार समिति की राय पर आवंटन किया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही पोजा पत्नि मुराद खॉ जाति मुसलमान साकिन आडूरी तहसील पूगल को को आवंटनशुदा होकर रिकार्ड में दर्जशुदा भूमि है। अपीलांट को उक्त भूमि मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16—05—2017 को अपीलांट का आवंटन सुओमोटो यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वादगत् आराजी अन्य को आवंटनशुदा होने से विवादित है। अतः अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जाता है।

अदालत मातहत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने व अपीलांट के पीठ पीछे पारित किया गया है। जब अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य सामने आ चुके थे कि वादगत् आराजी वन विभाग के लिए आरक्षित है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को आवंटित भूमि खारिज करते समय ही अपीलांट की पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि के आदेश पारित किये जाने थे। अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करते हुए केवल मात्र अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि पूर्व से ही अन्य आवंटि को आवंटित भूमि है। मौके पर पूर्व आवंटि का कब्ज काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5.विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6.(1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् को उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 3 एडी सीएडी के अनुसार चक 2 एडी के मुरब्बा नम्बर 58/20 की 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 15—01—1994 को वादगत् आराजी का आंवटन किया गया।

(2) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट को चक 3 एडी सीएडी के अनुसार चक 2 एडी के मुरब्बा नम्बर 58/20 की 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का सलाहकार समिति की राय से आवंटन किया गया। चूंकि उक्त भूमि मौके पर अन्य आवंटी पोजा पत्नि मुराद खॉ जाति मुसलमान निवासी आडूरी तहसील पूगल खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इसलिए अपीलांट को उक्त आराजी जैर का कब्जा प्राप्त नहीं हो सकता। अदालत मातहत को अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से उक्त आश्य की रिपोर्ट प्राप्त की जारी अपरिहार्य थी कि क्या उक्त आराजी विशुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? अतः अपीलांट पात्रता अनुसार अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(4) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(5) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार—बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(6) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा स्वयं अपने पत्राचार में अंकित किया है कि आवंटन की पृष्टि की जावे। अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को आवंटित आराजी जैर का आवंटन अन्य को किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(7)इसप्रकार विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों के अभिवचनों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रदर्शित होते हैः—
(क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

(ख)आवंटनों हेतु आवेदनों की जॉच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रूटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रूटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपानें की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।(ग) उक्त त्रूटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षो बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रूटि, बिना सूचना आवंटन

खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार—बार आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशम्य स्व्यं के हित में आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना—बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये है।

(घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

(ड़) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जॉच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रूटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जॉच कर कार्यवाही करें।

(8)अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन सुओमोटो रिव्यू कर यह कथन करते हुए खारिज किया गया है कि वादगत् भूमि पर पूर्व में अन्य आवंटी के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। अतः अपीलांट का आराजी जैर का आवंटन निरस्त किया जाता है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त कर दिया गया लेकिन उक्त आराजी की एवज में अन्यत्र भूमि अपीलांट को आवंटित नहीं की गई। जबकि अदालत मातहत को तत्समय ही आराजी जैर की एवज में अपीलांट की पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था, जोकि अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटनशुदा भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7.अतः बिन्दु संख्या 6 के मद संख्या 1 से 8 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को उसकी पात्रता की जॉच करते हुए विवादरहित व शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8.निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर